उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-700/2025/2304/41-1-2025-CN-1949392/2025
लखनऊ:: दिनांक 08 अगस्त, 2025

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गौतमबुद्ध नगर के विधान सभा क्षेत्र जेवर में स्थित ज्वाला ऋषि मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-668/2025/1369/41-1-2025-003-सी0एन0-1949392-2025 दिनांक 24.07.2025 के पृष्ठांकन क्रमांक-7 पर अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा को पृष्ठांकन की आवश्यकता न होने के कारण एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

2- तद्नुसार संदर्भगत शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5- अपर आयुक्त (ग्रेड-1) वाणिज्य कर विभाग, गौतमबुद्धनगर।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) बुलन्दशहर।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in